मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांकःएफ 543/सात/शा–3/2015 **भोपाल, दिनांक 23/09/2015**

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय–मानसून वर्षा 2015 के दौरान कीट इल्ली, रोग आदि से फसल क्षति के सर्वेक्षण एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत् राहत राशि का प्रदाय करने बावत्।

––00––

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2015 को **"अवर्षा की स्थिति की समीक्षा"** के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलों से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून वर्षा 2015 के दौरान कीट–इल्ली, रोग आदि से खरीफ फसलें प्रभावित हुई है।

(2) बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार इल्ली–कीट, रोग आदि से प्रभावित फसलों का राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत् सर्वेक्षण कराया जाकर प्रभावित कृषकों को राहत राशि प्रदाय कराया जाना है।

(3) फसल क्षति के सर्वेक्षण हेतु राजस्व, कृषि, उद्यानिकी, पंचायत, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का संयुक्त दल गठन कर सर्वेक्षण का कार्य कराया जाए। सर्वेक्षण दल खेत दर खेत जाकर प्रभावित कृषकों के खेतों में लगी फसल को हुई क्षति का आंकलन करेगा। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रभावित कृषकों की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी तथा सभी ग्रामवासियों को सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। ग्रामवासियों के दावे आपत्ति, यदि कोई हो तो प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त सभी दावे आपत्तियों का निराकरण सर्वे दल द्वारा किया जाकर सूची को ग्राम पंचायतों से सत्यापित कराकर राहत राशि स्वीकृत करने के लिए तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) फसलों की क्षति के वास्तविक सर्वेक्षण उपरान्त रेण्डम निरीक्षण संबंधित संभाग आयुक्त, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में किया जाए जिससे सर्वेक्षण कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। फसल क्षति का सर्वेक्षण करने के उपरान्त ग्रामवार प्रकरण तैयार किये जाए जिसमें प्रभावित कृषकों के खाते का आकार, बोयी गई फसल, कुल धारित रकबा, बोया गया रकबा, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा लघु एवं सीमान्त कृषक से भिन्न कृषक, बैंक खाता क्रमांक, समग्र आई.डी. क्रमांक एवं मोबाईल नम्बर आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। इस जानकारी के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के पैरा 05 के अनुसार प्रत्येक तहसील कार्यालय में प्रारूप –एक में पंजी संधारित की जाए जिसमें प्राकृतिक प्रकोप से हुई हानि एवं उपलब्ध कराई गई सहायता का पूर्ण विवरण रखा जाए।

(5) तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण सूची का विधिवत् प्रकाशन किया जाकर प्राप्त दावे, आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है, इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रकरण में उल्लेखित कर फसल क्षति के आधार पर ग्रामवार प्रकरण तैयार कर आर.बी.सी. 6–4 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी पात्रतानुसार राहत राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही करें। जिले की तहसीलवार फसल क्षति की जानकारी निर्धारित प्रपत्र–01 (प्रारूप संलग्न) एवं राहत राशि की मांग कलेक्टर के हस्ताक्षर से पीडीएफ फाईल के माध्यम से **दिनांक 01 अक्टूबर 2015 तक** ईमेल reliefcom@mp.nic.in पर भेजें।

(6) यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फसल क्षति के मामले में प्रकरण तैयार करते समय राजस्व अधिकारी एवं सर्वेक्षण दल राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः कमांक 4 के परिशिष्ट–1 के पद (एक) में नीचे दिए गए नोट कमांक 01 से नोट कमांक 16 तक का अच्छी तरह अध्ययन कर लें तथा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

23/9/15

(के.के.सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

पृ0 कमांकःएफ544**/सात/शा–3/2015** **भोपाल, दिनांक**23**/09/2015**

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, भू–अभिलेख, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/9/15

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

प्रपत्र–1

फसल क्षति का पत्रक (मानसून वर्षा 2015)

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित ग्रामों में खरीफ का बोया गया कुल रकबा (हे0 में)	प्रभावित खातेदार												कुल प्रभावित कृषकों की संख्या (9+15)	कुल प्रभावित रकबा (हे0 में) (10+16)	क्षति का अनुमानित मूल्य	आर.बी.सी. 6–4 के मानदण्डों के आनुसार सहायता राशि वितरण के लिए आवंटन की मांग (रू. लाख में)
				लघु एवं सीमांत कृषक						अन्य कृषक									
				25–33 प्रतिशत		33 प्रतिशत से अधिक		योग		25–33 प्रतिशत		33 प्रतिशत से अधिक		योग					
				कृषक संख्या	प्रभावित रकबा (हे0 में)	कृषक संख्या	प्रभावित रकबा (हे0 में)	कृषक संख्या (5+7)	प्रभावित रकबा (6+8)	कृषक संख्या	प्रभावित रकबा (हे0 में)	कृषक संख्या	प्रभावित रकबा (हे0 में)	कृषक संख्या (11+13)	प्रभावित रकबा (12+14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

हस्ताक्षर...

कलेक्टर